

**CERTIFICATE OF LAND**

File No. 756/2024

Date: 19/06/2024

Certified that the land measuring **30796.7 Square Meters** is owned by **BHAGWATI SHIKSHA SAMITI MISROD BHOPAL M.P.** by way of Gift Deed.

Sr.No.	Particulars	Details
1.	Plot No. (s)/ Survey No. (s)/Khasra No. (s)/Khata No.(s)/Khatauni No.(s)	269/1/1/4/4, 269/1/1/4/5 & 269/1/1/4/6, 244/1/2
2.	Name of street/village, Sub Division, District and State	Narmadapuram Misrod, Block-Bhopal Dist – Bhopal, Madhya Pradesh - State

It is certified that the said entire land comprises of a single contiguous plot of land. It is further certified that **SARDAR PATEL PUBLIC SCHOOL** at **Narmadapuram Road, Misrod, Bhopal, Madhya Pradesh 462047** run by **BHAGWATI SHIKSHA SAMITI MISROD BHOPAL M.P.** is located on the said plot of land.

**THE SCHEDULED OF LAND ABOVE REFERRED TO**

All that piece and parcel of land measuring **30796.7 Square Meters** situated in Khasra No.269/1/1/4/4,269/1/1/4/5 & 269/1/1/4/6,244/1/2 at Narmadapuram Misrod, Block-Bhopal, District Bhopal, Madhya Pradesh State and bounded as follows.

North – Kailash Narayan Land

East – Dr. Shekar Shrivastav land

West –Land of others

South – Govt. Land



4687 (01)

458



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B 647301

श्री गणेशाय नमः  
दहतावेजा विक्रय पत्र

विक्रय मूल्य 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र)

अदायगां कीमत

राशि 10,00,000/- (दस लाख रुपये मात्र) विक्रेता ने क्रेता से  
पूर्ण में बाला-बाला नम्रता प्राप्त कर लिए हैं और आव इस विक्रय कीमत  
में विक्रित कर क्रेता के लिए की पैसा दना शेष नहीं रहा है।

रुपये	80,000/-	सहकारी रटाम्प
रुपये	10,000/-	नाना वाजिका रटाम्प
रुपये	10,000/-	जनसेवा बालाका रटाम्प
रुपये	4,000/-	नाना रटाम्प
रुपये		1,04,000/- कुल स्टाम्प

श्री अमरदास पटेल आमज रव. श्री कैलाशनाथचन पाठीदार आमु चयनक,  
जानि गुलामकी (पुरु आदिवारी)निवासी निराशोद गोपाल वडोदरा कुल  
विक्रय गोपाल गोपाल देश।

मामूली विक्रय वाले निराशोद पंजीयन क्रमांक -7213/69 दिनांक  
30.05.99 द्वारा दर्ता की गयी वाली दर्ता द्वारा दिलाई दिलाई कैलाशनाथचन  
पाठीदार आमु चयनक निवासी निराशोद गोपाल वडोदरा कुल  
विक्रय गोपाल गोपाल देश।

गोपाल

मित्र..... 2

~~5455 TO 5459  
51MX5 = 500/-~~

नाम विक्रेता  
*शिवाजी*  
१२७८७

श्री जगदीश परेल्यु आत्मज श्री कैलाश नारायण निवारी - मिसरोड  
तहसील - हुजूर, जिला - भोपाल, गांधीप्रदेश।

भगवती शिक्षा रामिति मिसरोड द्वारा लायक श्री जगदीश परेल्यु आत्मज  
श्री कैलाश नारायण पटेल निवारी मिसरोड भोपाल तहसील - हुजूर  
जिला - भोपाल, गांधीप्रदेश



जगदीश परेल्यु  
मिसरोड  
बोपाल  
उत्तर प्रदेश

विलास शोपाल के द्वय पंजीयन  
कीपाली देव तारीख  
वी. स. १ के पं. १  
पंजीयन दिया गया। २-००

V.P. Gokhale  
Stamp Vendor  
Shivaji Ghat, Bhopal  
कालीन डिलाइ नं० ३३३४५४६

13 FEB 2007

M.V. 132000007-

प्रमुख शुल्क.....	1056000-
परर किम्बा शुल्क.....	33000
प्राप्तव्य शुल्क.....	33000-
प्राप्तव्य शुल्क.....	53800
परिवर्त शुल्क.....	1372800-

*[Signature]*

13 FEB 2007



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B 647302

:: 2 ::

विक्रय की गई कृषि भूमि का विवरण :-

गृ-अधिकार एवं क्रण पुरिताका क्रमांक - ३४४८३८

खरारा क्रमांक

रकबा

लगानी

244 / 1

८.९८ एकड़ / ३.६३४ हेक्टेयर

२७.२० रुपये

मे. रु.

६.५० एकड़ / २.६३२ हेक्टेयर (छ. एकड़ पवास छेरीगल )

विक्री भूमि जो कि भिरारोद, पटवारी हल्का नं.- ४२ / ५०, राजारब निरीक्षक मण्डल ४, ठिकारा खण्ड का तहानीन-हुजूर, जिला-गोपाल ग्रामप्रदेश मे नगर पालिका नियम की रीमाओ के अन्दर विनियोगित नौसूदियो की स्थित है :-

पूरब में : विक्री की शेष सापेहि ।

पश्चिम में : खरारा क्रमांक - २४६, २४७ / ४ की भूमि ।

उत्तर में : खरारा क्रमांक - २४५ की भूमि ।

दक्षिण में : खरारा क्रमांक - २४४ / १, २४४ / ३ की भूमि ।

उपरोक्त विक्रय की जा रही कृषि भूमि विविह कृषि भूमि है, उपरोक्त विक्रय की जा रही कृषि भूमि गोपाल शहर से दूर छोकर गुलबगार से अन्दर रिहात है उक्त कृषि भूमि को इस विक्रय पत्र के रात्र राजनन-नक्शे मे लाल रंग के तोर मे पूरी विवरण के साथ दर्शाया गया है, जो नक्शा इस दस्तावेज का एक गड़बड़ा अश/भाग रहेगा। यह कि उक्त विक्री की भूमि को शाराने ने अधियोगित अधिग्रहण व अतिशेष घोषित नहीं की है, अश्व उक्त भूमि पूरीत विक्री के कब्जे व उक्त भूमिकाना मे बढ़ती आ रही है, जिसे विक्रय करने के विकल्प को लेकर विवाद वाला वार्ता प्राप्त है।

ग्रन्तीकरण

प्रियोग 3

5456 + 5955  
81M

Dm  
10/3/07

10/3/07

कांगड़ा नगरपालिका बोर्ड कांगड़ा गवाहारी

कांगड़ा नगरपालिका

V.F. Gokhale  
Stamp Vendor  
Shivaji Nagar, Bhopal



कांगड़ा नगरपालिका द्वारा जारी किया गया नोट

नियमित रूप से 10,00,000/-  
(सौ लाख रुपये)

कांगड़ा नगरपालिका द्वारा जारी किया गया नोट  
कांगड़ा नगरपालिका की अधिकारी द्वारा जारी किया गया नोट

१

२१ फरवरी २००७ को द्वारा जारी किया गया नोट

कांगड़ा नगरपालिका द्वारा जारी किया गया नोट

३

२२ फरवरी २००७ को द्वारा जारी किया गया नोट

कांगड़ा नगरपालिका द्वारा जारी किया गया नोट  
कांगड़ा नगरपालिका द्वारा जारी किया गया नोट  
दिनांक 13 FEB 2007





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B 647303

:: 3 ::

### अन्य विवरण

- यह कि उपरोक्त वर्णित विक्रय की जा रही कृषि भूमि विक्रेता के रखत्व स्वामित्व एवं आधिकार्य की कृषि भूमि है जिसे विक्रय करने के विक्रेता को ग.प्र. भू-संज्ञक संहिता 1959 के अंतर्गत भूमि रखामी के वैधानिक अधिकार प्राप्त है।
- यह कि विक्रय की जा रही भूमि विक्रेता ने कहीं भी हसानांतरण, दान, बंधक, गिरवी, रहन, उर्सीयत इत्यादि से ग्रसित नहीं की है और न ही किसी वाक्येत की जगान्त इत्यादि ही दी है। यह कि उक्त वर्णित विक्रय की जा रही कृषि भूमि पर विक्रेता ने किसी भी वाक्य, दैनक, सोसायटी इत्यादि से कोई कर्जा, गार इत्यादि नहीं लिया है और न ही उक्त विक्रय की जा रही कृषि भूमि के संबंध में किसी भी कार्यालय, बैंक, सोसायटी, न्यायालय पंचायत, इत्यादि में कोई प्रकरण विचारणीन नहीं है अर्थात् उक्त वर्णित विक्रय की जा रही कृषि भूमि पूर्णतः पाक व साफ छोकर पूर्णतः भार रहित कृषि भूमि है।
- यह कि विक्रेता ने उक्त वर्णित कृषि भूमि अपनी निजी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपरोक्त विक्रेता/रामिति को राशि 10,00,000/- (दस लाख रुपये गांव) कुल कीमत के बदले सदैव के लिए विक्रय कर दी है, और विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि पृष्ठ कमांक एक की कंडिका अनुराग प्राप्त कर ली है और अब विक्रय कीमत में विक्रेता का केता से एक भी पैरा लेना शेष नहीं रहा है और न ही भविष्य में रहेगा।
- यह कि उपरोक्त विक्रय की जा रही कृषि भूमि पर आज सो पहले के जो भी वकासा हेक्सोन रारकारी व गैर रारकारी ऋण भार इत्यादि निकले तो विक्रेता उन्हें अदा करने के लिए पारंपर एवं लिमेदार रहेगा।


ग्रामीण

प्रियताम 4

~~5457 1 Sh. 56  
SIM SIM~~

190102

1934 n 3



**SUB REGISTRAR  
CHOPAL**

G121421410



  
V. P. Gokhale  
Stamp Vendor  
Shivaji Nagar, Bhopal



Rajibumar

1

१) वर्ष २००६ की वार्षिक संस्कृति वार्ता का लिखा।  
वर्ष २००७ की वार्ता १३ FEB 2007

卷之三

पर

# भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

₹. 100



Rs. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B 647304

:: 4 ::

5. यह कि उपरोक्त वर्णित विक्रय की जा रही कृषि भूमि पर उपरोक्त क्रेता को कब्जा व दखल मालिकाना हक दे दिया गया है और आज से उक्त क्रेता उपरोक्त विक्रय की जा रही कृषि भूमि की मालिकान्व रवानी हो चुके हैं और उपरोक्त विक्रय की जा रही कृषि भूमि पर विक्रेता विधिक्रेता के उत्तराधिकारी, भागीदार, हितधारी, वारसन इत्यादि का कोई स्वत्व, स्वामित्व, हक, दखल, मालिकाना एवं अधिकार शेष नहीं रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था, फर्ग उक्त विक्रय की जा रही कृषि भूमि के रांबंध में दावा, झगड़ा या कोई न्यायालयीन कार्यवाही करता है, तो वे असत्य एवं अवैधानिक मानी जावें।
6. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि को विक्रय करने से न तो मध्यप्रदेश भू-रांजरें राहिता 1959 कृषि भूमि अधिनियम, जोत सीमा विधान, भू-दान, फ़ज़ाविधान एवं उन्हीं किसी अधिनियम की धारा का उल्लंघन होता है और न ही कोई प्रतिबंध ही है।
7. यह कि विक्रय की जा रही कृषि भूमि कुल या उसका कोई भी माम विक्रेता के स्वत्व छुट्टे या किसी दावेदारी, देनदारी के कारण क्रेता के अधिपत्य या स्वामित्व से निकल जाती है तो विक्रेता विक्रय प्रतिफल की रापूर्ण राशि तत्समय प्रवालित बाजार गूल्य की दर से मय हज़ेर खर्च व नुकसान के साथ अपनी चल व अवल रापत्ति में से एक गुण्ठ राशि क्रेता को अदा करने के लिए जिमेदार रहेंगा।
8. यह कि विक्रय की जा रही कृषि भूमि के नामांतरण के लिए उपरोक्त क्रेता को अधिकार होगा कि वह इस विक्रय पत्र के आधार पर उक्त वर्णित विक्रय की जा रही कृषि भूमि को संबंधित कार्यालयों के अगिलेखों गे अपने नाम पर नामांतरित करा लेके जिसमें विक्रेता अपना हर प्रकार का संहिता देंगा।

ग्रन्ती 2 अप्रैल

प्रिया... 5

~~50.58 + 50.57~~  
~~51M 51M~~

~~12016  
19/11/07~~

~~1234 53~~

V.P. Gokhale  
Stamp Vendor  
Shivaji Nagar, Bhopal





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B 647305

:: 5 ::

9. यह कि उपरोक्त क्रेता आज से उपरोक्त विक्रय कृषि भूमि से बहैसियत मालिक व स्वामी के हर प्रकार का लाग उठावें उक्त भूमि को बैंक में बंधक / रहन रखकर ऋण प्राप्त करें तरी विक्रय, हरतांतरण, बंधक, गिरवी, वसीयत इत्यादि-इत्यादि करे एवं हर प्रकार से लाभान्वित होंगे। अरतु यह विक्रय पत्र विक्रेता एवं क्रेता ने शुद्ध इन्द्रिय एवं रचनथ मन मरिताक की दशा में बगेच किसी डर दबाव के सुन व सगङ्कर, पढ़कर समक्ष गवाहान गांपादित करा दिया है ताकि सनद रहे एवं वक्त जरूरत पर काम आवे। इति दिनांक : - 13.02.2007  
मेरे द्वारा प्राप्तिकिया गया।

  
(रत्नेश शर्मा, अधिवक्ता)

गवाहान :-

1. हस्ता. Rajkumar  
नाम Rajkumar Patidar

गवाहान विक्रेता  
हस्तान विक्रेता

पिता का नाम Vidhy Persad Patidar  
पता Main Road Misrod Bhopal

2. हस्ता. D.  
नाम Debal Patidar

पिता का नाम Deb Ram Patidar  
पता Misrod Bhopal

गोट : इस दस्तावेज में कोई काट छाट नहीं है।




~~5454~~ 5458  
~~SIN~~ ~~SIN~~

10211  
10211

10211  
10211

V.P. Gokhale  
Stamp Vendor  
Shivaji Nagar, Bhopal



13 FEB 2007

1687 5  
13 FEB 2007

13 FEB 2007



1000Rs.



(अ०)

दानावेत्त दान पत्र / (Donation Deed) 049356

ग्रामी

दाप्ता

जम्बा

बाजार मूल्य—11,23,500/- रुपये, पर मुद्रांक शुल्क—1,12,500/- रुपये

नाम दानदातागण— 1) श्रीमती गायत्रीबाई पत्नी श्री जगदीश प्रसाद, आयु—वयस्क, जाति—  
गुजराती (पाटीदार) निवासी—ग्राम मिसरोद मोपाल तहसील हुजूर  
जिला मोपाल मध्यप्रदेश। राष्ट्रीयता—भारतीय एवम्

2) श्रीमती दमयन्ती पत्नी श्री महेन्द्र, आयु—वयस्क, जाति—गुजराती  
(पाटीदार) निवासी—ग्राम मिसरोद मोपाल तहसील हुजूर जिला मोपाल  
मध्यप्रदेश। राष्ट्रीयता—भारतीय एवम्

3) श्रीमती जमुनाबाई पत्नी श्री रामदयाल, आयु—वयस्क, जाति—गुजराती  
(पाटीदार) निवासी—ग्राम मिसरोद मोपाल तहसील हुजूर जिला मोपाल  
मध्यप्रदेश। राष्ट्रीयता—भारतीय।

नाम दानप्रहिता—  
मगवती रिक्का सभिति कार्यालय पता—ग्राम मिसरोद मोपाल (पंजीयन  
क्रमांक—7319/90, दिनांक—30/08/1990) द्वारा अध्यक्ष श्री जगदीश  
पटेल आत्मज श्री कैलाश नारायण, आयु—वयस्क, निवासी—ग्राम मिसरोद  
मोपाल तहसील हुजूर जिला मोपाल मध्यप्रदेश। राष्ट्रीयता—भारतीय।

क्रमा 2

ग्रामी

दाप्ता

जम्बा



1000Rs.



दान की जा रही सम्पत्ति का विवरण :-

049358

भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका क्रमांक-एम-238784

<u>खसरा क्रमांक</u>	<u>रकबा</u>	<u>लगान</u>
269/1/1/4/4	0.15 हेक्टेयर	0.54 रुपये

भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका क्रमांक-एम-238783

<u>खसरा क्रमांक</u>	<u>रकबा</u>	<u>लगान</u>
269/1/1/4/5	0.15 हेक्टेयर	0.54 रुपये

भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका क्रमांक-एम-238782

<u>खसरा क्रमांक</u>	<u>रकबा</u>	<u>लगान</u>
269/1/1/4/6	0.15 हेक्टेयर	0.54 रुपये

<u>कुल तीन किला</u>	<u>रकबा</u>	<u>लगान</u>
	0.45 हेक्टेयर	1.62 रुपये

0.45 हेक्टेयर भूमि दान की जा रही है, जो कि  
ग्राम-मिसरोद, पटवारी हल्का नम्बर-३२, राजस्व निरीक्षक मण्डल-०४, विकासखण्ड-फन्दा,  
तहसील हुजूर जिला भोपाल में नगर निगम की सीमाओं के अन्दर स्थित है।

क्रमांक.....3.....

गायत्री

दम्पत्ति

जमना

2/11/05

$$\frac{3485}{100} \rightarrow \frac{3484}{100}$$

मुद्रांक विक्रेता  
वडा. घासी मिश्र, गोविन्दपुरा संगल  
प्रभानन्द राजनन्द  
वडा. राजनन्द  
प्रभानन्द राजनन्द



मनुष्यान्तरिक्षम् वायुम् देहम्  
वीकार करते हैं। तथा कथित.....

**विद्या** का विषय-हिंदू का विद्या  
भेदोंका गति तथा प्रतिक्रियाएँ

पुरोऽपां शक्तु रु.....  
.....

..... दूर हो प्राप्ति हो गयी

બેંગ રાય

~~धन्दग तु गायत्री त्रिवृत् त्रिवृत् त्रिवृत् त्रिवृत्~~

卷之三

३०६६ वो पर्यावरण के दाव वापस लो

1

ମୁହଁରା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

C

ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା ପରିକାଳିକା ପରିକାଳିକା ପରିକାଳିକା

मायने देते अस्थानकरण का विषय वे की गई है।  
मार्च 12-5-JAN-2005

1000Rs.



(3)

जिसकी चतुर्सीमाएँ निम्नानुसार हैं:-

गांध्री

पूरब में

049359

दम्यन्ती

पश्चिम में

डॉ. क्लेस्ट्रक्टर श्रीगलाव एवं महेन्द्र श्री गृहि

जम्ना

उत्तर में

अन्य की थुमि

श्री कैलाशनारायण की श्रुमि

दक्षिण में

श्रम्भुक्ता श्रुमि

यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि एक फसली व असिचित भूमि है. जिसमें कोई भी हिमारती पेड पौधे इत्यादि नहीं है। दान की जा रही भूमि भोपाल शहर से लगभग 9 किलोमीटर दूर होकर मुख्य मार्ग से अन्दर स्थित है। यह कि दान की जा रही भूमि को संलग्न नक्शे में लाल रंग के धेरे में पूर्ण विवरण के साथ दर्शाया गया है. जो नक्शा इस दस्तावेज का महत्वपूर्ण अंश रहेगा। यह कि उक्त वर्णित भूमि को शासन ने अधिग्रहित, अधिग्रहण व अतिशेष घोषित नहीं किया है अर्थात् उक्त भूमि पूर्णतः दानदाता के कब्जे व दखल मालिकाना में चली आ रही है जिसे दान करने के दानदाता को वैधानिक अधिकार प्राप्त है।

क्रमशः 4.....

गांध्री

दम्यन्ती

जम्ना

21/1/05

3486 Two + 3485 Two

राजा कुमार यात्रा  
मृदंग वा  
ला, नाती निकेतन



ग्राम पत्र

ग्राम पत्र नियमित वार्षिक अधिकारी  
के दस्तूर का नियाम

वालव दिनांक 25 JAN 2005  
प्रिया द्वया



SUB REGISTRAR  
BHOPAL

ग्राम पत्र

Sub  
Reg



दस्तूर

ग्राम पत्र नियमित वार्षिक अधिकारी  
के दस्तूर का नियाम

वालव दिनांक  
प्रिया द्वया 25 JAN 2005



SUB REGISTRAR  
BHOPAL

1000Rs.



(4)

अन्य विवरण:-

048467

- 1- यह कि उपरोक्त दान की जा रही कृषि भूमि दानदाता के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि है, जो कि दानदाता के शांतिपूर्ण आधिपत्य में चली आ रही है, जिसे दान करने के दानदाता को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत भूमि स्वामी के वैधानिक अधिकार प्राप्त है।
- 2- यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि को द्यन करने से न तो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 कृषि भूमि अधिनियम, जोत सीमा नियम, भूदान, यज्ञ विधान एवं अन्य किसी अधिनियम की किसी घारा का उल्लंघन होता है और न ही कोई प्रतिबंध ही है।
- 3- यह कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि दानदाता के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य का कृषि भूमि है, जिसे हम दानदाता ने उपरोक्त वर्णित दानग्रहिता को बिना प्रतिफल स्वरूप दान दे दिया है और आज दिनांक से उक्त वर्णित कृषि भूमि के संबंध में मेरा किसी भी प्रकार का स्वत्व स्वामित्व नहीं रहा है और न ही भविष्य में किसी भी प्रकार का स्वत्व व स्वामित्व रहेगा।
- 4- यह कि दान किये जा रहे कृषि भूमि को दानदाता ने कहीं भी हस्तांतरण, दान, बंदक, गिरवी, रहन, वसीयत इत्यादि से ग्रसित नहीं किया है और न ही किसी व्यक्ति की जमानत इत्यादि ही दी है। यह कि उक्त वर्णित दान किये जा रहे कृषि भूमि पर दानदाता ने किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, सोसायटी इत्यादि से कोई कर्ज, भार इत्यादि नहीं लिया है।
- 5- यह कि उक्त वर्णित दान की जा रही भूमि के संबंध में किसी भी कार्यालय, बैंक, सोसायटी, न्यायालय, पचायत इत्यादि में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है अर्थात् उपरोक्त वर्णित दान किया जा रहा कृषि भूमि पूर्णतः पाक व साफ होकर पूर्णतः भार रहित कृषि भूमि है।
- 6- यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि को दानदाता ने दानग्रहिता को दान कर दिया है और भविष्य में दानदाता किसी भी प्रकार से उसे दापस नहीं भागेगे। उक्त वर्णित कृषि भूमि के संबंध में दानग्रहिता को अधिकार होगा कि वह उसे जैसे उपयोग व उपभोग करे, जिसमें दानदाता को किसी भी प्रकार की आपत्ति का अधिकार नहीं होगा।

तमसा ... 4

ग्रामी

ग्रामी

ग्रामी

21/11/05

3487 + 3486  
Two Two

*Lata*  
लता लुमार मोयः  
नवाक्षिणी

संग्रहालय नवाक्षिणी



जमाव

मेरी जाति की जमाव की जाति  
मेरी जाति की जमाव की जाति  
मेरी जाति की जमाव की जाति



1994/95 संख्या


मेरी जाति की जमाव की जाति  
मेरी जाति की जमाव की जाति  
मेरी जाति की जमाव की जाति

1994/95 संख्या

मेरी जाति की जमाव की जाति  
मेरी जाति की जमाव की जाति  
मेरी जाति की जमाव की जाति

न लाभ हिंदू 25 JAN 2009

THE REGISTRAR  
BHOPAL



मेरी जाति की जमाव की जाति  
मेरी जाति की जमाव की जाति  
मेरी जाति की जमाव की जाति

मेरी जाति की जमाव की जाति  
मेरी जाति की जमाव की जाति  
मेरी जाति की जमाव की जाति

मेरी जाति की जमाव की जाति  
मेरी जाति की जमाव की जाति  
मेरी जाति की जमाव की जाति

मेरी जाति की जमाव की जाति  
मेरी जाति की जमाव की जाति

1994/95

1000 Rs.



(4)

7— यह कि दान किये जा रहे कृषि भूमि के नामांतरण के लिए उपरोक्त १५० दानग्रहिता को यह

अधिकार होगा कि वह इस दान पत्र के आधार पर उक्त वर्णित दान किये जा रहे कृषि भूमि को संबंधित कार्यालयों के अभिलेखों में अपने नाम पर नामांतरित करा लेवे, जिसमें दानदाता अपना हर प्रकार का सहयोग देने को पाबंद एवं जिम्मेदार रहेगा।

- 8— यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि के संबंध में दानदाता ने उपरोक्त वर्णित दानपत्र में वर्णित दानग्रहिता को ही दानग्रहिता नियुक्त किया है एवं इसके पूर्व दानदाता ने किसी भी अन्य व्यक्ति, फर्म इत्यादि को उक्त कृषि भूमि दान नहीं किया और न ही भविष्य में करूँगी।
- 9— यह कि दान किये जा रहे कृषि भूमि के संबंध में भविष्य में यदि दानदाता के किसी भी उत्तराधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार का वाद-विवाद या दावा किया जाता है तो उसे पूर्ण रूप से सुलझाने की जिम्मेदारी दानदाता की होगी।
- 10— यह कि उपरोक्त वर्णित दान की जा रही कृषि भूमि को उपरोक्त क्रेता को कब्जा व दखल मालिकाना दे दिया गया है और आज से उक्त क्रेता उपरोक्त दान कृषि भूमि के मालिक व स्वामी हो चुके हैं और अब उपरोक्त दान कृषि भूमि पर दानदाता व दानदाता के उत्तराधिकारी, पाटर्नर, हितधारी, यारसान इत्यादि का कोई स्वत्व, स्वामित्व, हक, दखल, अधिकार एवं मालिकाना शेष नहीं रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति संस्था फर्म उक्त वर्णित दान कृषि भूमि के संबंध में दावा, झगड़ा या कोई न्यायालयीन कार्यवाही करती है तो वह अस्त्य एवं अवैधानिक मानी जाये।
- 11— यह कि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति के संबंध में दानग्रहिता को यह अधिकार होगा कि वह उक्त वर्णित सम्पत्ति के यहौसियत मालिक व स्वामी के हर प्रकार का लाभ उठायें उसे रहन, दान, व्यक्त इत्यादि करें एवं हर प्रकार से लाभान्वित होवे इत्यादि करें और जिस प्रकार चाहे उसे उपयोग करें।

क्रमशः 5....

ग्रामपत्री

ग्रामपत्री

जमीन।

21/1/05

$$\frac{3488}{1\text{ m}} + \frac{3467}{1\text{ m}}$$

  
रोशन कुमार सिंह  
मुद्रांक विक्रेता  
157, भारती निक्षेत्र, गोविन्दपुरा गोपाल



1000 Rs.



(5)

043451

अस्तु यह दान पत्र दानदाता ने शुद्ध इन्द्रिय एवं स्वस्थ मन मस्तिष्क की वशा में बगैर किसी डर दबाव के सुन व समझकर समझ गयाहान निष्पादित करा दिया है, ताकि सनद् रहे एवं वक्त जरूरत पर काम आये। हति दिनांक-२५/०१/२००५

## गदाहानः—

1-



## हस्ता. / दानदातागण

गांधी

दमयज्ञ

SIIHON

हस्ता. / दानयुक्तिः

गणेशपाल

2-



8

218-14120 611

1

नाम— श्री कृष्णा श्री महाराज

四

22m 15H31's. 211cm

**नोट**—इस दस्तावेज में कोई कांट-छांट नहीं है।

三月三十日

मेरे छारि प्रारूपित किया गया।

(महेश कुमार मोर्द, अधिकक्षा) (CH Aug 1)

ପ୍ରାଚୀ

ପ୍ରକାଶନ-କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶନକାରୀ ହେଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶକିତ  
ଦେଖାଇବାରୁ କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶକିତ କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶକିତ କିମ୍ବା

110

३५८